

प्रपत्र-2.1

परियोजना का नाम- आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल में उपखनिज चुगान हेतु कोसी नदी से पुनः नवीनीकरण आवेदन के सम्बन्ध में।

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्र०सं०- FP/UK/MIN/147885/2021.

7. परियोजना /स्कीम का स्थान :-

—कोसी नदी में उपखनिज चुगान हेतु पुनः नवीनीकरण आवेदन (तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर)

- | | |
|---|--|
| i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र | — उत्तराखण्ड |
| ii. जिला | — नैनीताल। |
| iii. वन प्रभाग | — तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर। |
| iv. वनेत्तर प्रयोग के लिए पुनः नवीनीकरण प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल(है० में) | —181.00 है० |
| v. वन की कानूनी स्थिति | —आरक्षित वन क्षेत्र। |
| vi. हरियाली का घनत्व | —0.4 |
| vii. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल०-8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किये जाये। | —पुनः नवीनीकरण आवेदन |
| viii. भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | —लागू नहीं। |
| ix. वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | —खनन संक्रियाओं हेतु पुनः नवीनीकरण आवेदन |
| x. क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाये) | — नहीं। |
| xi. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। (यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें) | — नहीं |
| xii. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनपत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो | — नहीं |

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि

आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है॥

यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार

संस्तुत क्षेत्र क्या है।

—संलग्न।

9. क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है(हां/नहीं)
यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही
सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। —नहीं
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। — *लागू नहीं।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप। — *लागू नहीं।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। —*लागू नहीं।
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय। —*लागू नहीं।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित) उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये। —*लागू नहीं।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7(xi,xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) —संलग्न की जानी हैं।
12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल, जिला का भौगोलिक क्षेत्र। — 4251 Sq. Km
- जिला का वन क्षेत्र — 564.0 Sq. Km
 - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। — 30 Nos and 109.709 हे०
 - 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण — 167.21 हे०
 - दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि — —
 - वनेत्तर भूमि पर वर्ष 2017-18 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति — —
 - वन भूमि पर — 167.21 हे०
 - वनेत्तर भूमि पर — —
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। —(Recommended.)

कोसी नदी खनन क्षेत्र हेतु पुनः नवीनीकरण आवेदित है, नदी में खनन संक्रियायें चालू रहने से बाढ़ का खतरा भी कम होगा तथा राजस्व की प्राप्ति होगी।

(नोट- *पुनःप्रस्ताव होने के कारण लागू नहीं)

दिनांक 16/2/2022

स्थान Ramnagar

हस्ताक्षर—
नाम— (बलवन्त सिंह शाही)
सरकारी मोहर—प्रभावी वनाधिकारी
उपराई पश्चिमी वन प्रभाग
गामनगर (नैनाताल)

19.2